राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(121)RSSB/अर्थना/पशु पा.वि./पशु परि./सीधी भर्ती/2023/2061 दिनांक : 01.02.2024

–:संशोधित विज्ञप्तिः–

–:: पशु परिचर (Animal Attendant) सीधी भर्ती–2023 ::–

बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिये पशु परिचर सीधी भर्ती–2023 हेतु विज्ञापन संख्या 07/2023 दिनांक 06.10.2023 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 12.01.2024 को जारी किया गया था।

उक्त विज्ञापन की बिन्दू संख्या 15 नियुक्ति की अयोग्यताऐं के उपबिन्दू 04 को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के क्रम में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

i. दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।

ii. जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

iii. किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

iv. कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

v. इस उप–नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(मेजर जनरल आलोक राज)
अध्यक्ष